रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 1972/आश्विन 21, 1894

No. 231] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 1972/ASVINA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th October 1972

SUBJECT.—*Exchange risks on aid financed imports—Submission of Bank guarantee by importers.*

No. 147-ITC(PN)/72.—The licensing conditions applicable to imports under certain foreign credits permit the importers to avail of credit facilities extended to them by their suppliers subject to certain conditions. In such cases they are allowed to import the goods without opening a formal letter of credit prior to shipment. A few days before the shipment is due for payment, they are required to deposit the rupee equivalent of the foreign exchange cost of the shipment at the composite rate of exchange and approach the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) for obtaining a letter of authority. On the strength of the letter of authority so issued, necessary letters of credit are opened and payment to the suppliers arranged directly from the foreign credit funds.

2. Consequent on the floatation of certain currencies from the middle of 1971, fixed composite rates between the Indian Rupee and the foreign currencies involved ceased to be in force. The rates of conversion to be adopted for arriving at the rupee equivalents of the foreign currencies to be deposited into Government account will now depend upon the rates of exchange prevailing on the London Exchange Market on the date of payment to the supplier and cannot, therefore, be known in advance. As such, the above, procedure cannot be strictly adhered to. It has, therefore been decided that, in future, where credit facilities are being availed of (subject to the conditions applicable to the licence in question) and where arrangements have to be made for making payments to the suppliers for the shipments already received, the importers should deposit into Government account the rupee equivalents of the cost of the goods involved in foreign currency at the rates of exchange prevailing on the date of deposit (or at the fixed composite rates of exchange prevailing on the date of deposit, if any) and should submit to the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs), New Delhi the relevant Treasury Challan alongwith a request in the prescribed form for the issued of a letter of authority. [The procedure laid down in Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated the 23rd October, 1968 as amended, should be followed for making the rupee deposits]. In addition, they should also produce a bank guarantee for 3 per cent of the value of the licence in question in the form as prescribed in Annexure 'A' to this Public Notice. On receipt of the bank guarantee and the request for issue of a letter of authority supported by the treasury challan referred to above, the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) will issue the letter of authority in the usual course. After the payments to the suppliers are arranged on the strength of the Letter of authority, the importers' bankers should work out the rupee equivalents of the foreign exchange paymens due at the rates applicable to the date of actual payment to the suppliers. If the rupee equivalents so arrived at are less than the amounts already deposited, the banker should immediately arrange to deposit into Government account the difference, together with interest at 6 per cent per annum from the date of payment to the supplier upto the date of deposit of the difference and make available to the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) the Treasury Challan in the usual course. The Bank guarantees will be released after all the dues to Government have been collected. It is equally the responsibility of the importers to ensure that the amount due are deposited correctly and promptly.

ANNEXURE A

Guarantee Bond

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in foreign exchange for the import of.... . ...by gi

(hereinafter called the 'Importer') against the licence No.............................. dated........ . ...issued under the terms and conditions of.............. . . (The name of the foreign credit to be indicated) and in pursuance of import in favour of the importer against the above mentioned agreement (hereinafter called 'the said Agreement'), we.... .... Bank, at the request of the importer hereby undertake to make additional deposits being the difference between the composite rate of exchange already adopted at the time of making the rupee deposit and the rate that prevails on the date of payment to the supplier within 10 days of the receipt of advice of payments, for credit to the Government account, in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by Government of India under the said credit together with interest so due, at the rate of six per cent per annum on the amount of difference from the date of payment to the foreign supplier to the date of payment of Rupee equivalent for credit to the Government account.

2. We, the . ...Bank also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Goevrnment may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. . . .. of any part thereof, for the time being due and payable by the Importer, together

with interest thereon at the rate of six per cent per annum from the date of payment to the foreign supplier. The decision of the Government as to whether there has been any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us........................ Bank shall be final and binding on us ....Bank.

3. We...Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this Guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

4. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer of the...Bank and Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and the...Bank shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the importer or any other forbearance act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the.............. ....Bank from its such liability.

5. We...Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government, in writing.

6. Our liability under this guarantee is restricted to Rs.............*.......... (plus interest and other charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount) and it will remain in force till the... day of...................**..................(Month).. 197 .
Unless claims under the guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter *i.e.* upto..., all rights of the Government under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated the.........................day of.................
for...Bank.

Accepted for and on behalf of the President of India by Shri (Name and designation).

Signature Signature

*This should be for 3 per cent of the value of the import licence.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date upto which the Letter of Authority is required to be kept valid.

NOTE.—The value of the stamped paper in which this Guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1972

विषय :–*सहायता पूंजी लगे आयातों पर मुद्रा विनिमय दायित्व–आयातकों द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करना।*

संख्या 147–आई० टी० सी० (पी/एन)/72.—कतिपय विदेशी ऋणों (जैसे पश्चिम जमर्नी ऋण आदि) के अधीन आयातों पर लागू लाइसेंस शर्तों द्वारा आयातकों को उनके संभरकों द्वारा कुछ शर्तों के अधीन दी गई ऋण सुविधाएं उपलब्ध करने की अनुमति है। ऐसे मामलों में उन्हें पोत लदान से पहले औपचारिक साखपत्र खोले बिना माल का आयात करने की अनुमति है। पोतलदान के भुगतान की निश्चित तिथि से कुछ दिन पहले आयातकों के लिए मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर पर पोतलदान की विदेशी मुद्रा लागत के बराबर रुपया जमा करना और प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिये वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक है। इस प्रकार जारी किए गए प्राधिकार पत्र के बल पर आवश्यक साख पत्र खोले जाते हैं और विदेशी ऋण निधियों से संभरकों को सीधे ही भुगतानों की व्यवस्था की जाती है।

वर्ष 1971 के मध्य से कुछ मुद्राओं में घटाव बढ़ाव के परिणामस्वरूप, भारतीय रुपये और विदेशी मुद्राओं के मामलों के बीच की नियत मिश्रित दरें लागू नहीं रहीं। अब सरकारी लेखे में जमा करने के लिये विदेशी मुद्राओं के बराबर रूपये की गणना करने के लिए परिवर्तन की अपनायी जाने वाली संभरक को भुगतान करने की तिथि को लंदन मुद्रा विनिमय बाजार की मुद्रा विनिमय की प्रचलित दरों पर निर्भर होगी और इसलिये, यह दर पहले से ही नहीं जानी जा सकती। इसी कारण उपर्युक्त क्रियाविधि का पालन सख्ती से नहीं किया जा सकता। अतः यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में, जहां ऋण सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हों (विषयाधीन लाइसेंस पर लागू शर्तों के अधीन) और जहां पहले से ही प्राप्त किए पोत लदानों के लिए संभरकों को भुगतान करने के लिए व्यवस्थाएं करनी हों, ऐसे मामलों में, आयातकों को सरकारी लेखे से विदेशी मुद्रा में माल की लागत के बराबर रुपया जमा करने की तिथि को प्रचलित विनिमय की मुद्रा दर पर (या जमा करने की तिथि को मुद्रा विनिमय की नियत मिश्रित दरें यदि कोई प्रचलित हों तो उन पर) जमा करना चाहिए और निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ संगत राजकोष चालान प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को प्रस्तुत करना चाहिये। रुपया जमा करने के लिये विदेश व्यापार मंत्रालय की यथा संशोधित सा० सू० सं० 233–आई. टी. सी. (पी एन)/68 दिनांक 23–10–68 में निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण करना चाहिये)। इसके अतिरिक्त, उन्हें विषयाधीन लाइसेंस के मूल्य के 3% के लिये एक बैंक गारंटी भी इस सा० सू० के अनुबंध ('ए' में यथा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी चाहिये। बैंक गारंटी प्राप्त करने पर और प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये उपर्युक्त राजकोष चालान द्वारा समर्थित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पहले की तरह प्राधिकार पत्र जारी करेगा। प्राधिकार पत्र के आधार पर संभरकों को भुगतानों की व्यवस्था हो जाने के बाद, आयातकों के बैंकरों को वास्तविक भुगतान की तिथि

को लागू दरों पर संभरकों को देय विदेशी मुद्रा के भुगतानों के बराबर रुपये की गणना करनी चाहिए। यदि इस प्रकार गिना गया रुपया पहले जमा की गई धनराशि से कम है तो बैंकर को बाकी धनराशि और इसके साथ संभरक को भुगतान करने की तिथि से बाकी धनराशि जमा करने की तिथि तक 6% सालाना की दर से व्याज सरकारी लेखे में तुरंत जमा करने की व्यवस्था करनी चाहिये और राजकोष चालान वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को पहले की तरह ही उपलब्ध कराना चाहिये। बैंक गारंटी सरकार को देय सब धन राशियां चुका देने बाद रिहा की जाएंगी। यह सुनिश्चित करना आयातकों का भी सामान रूप से उत्तरदायित्व है कि देय धनराशियां सही तरीके से और अविलम्ब जमा की जाती हैं।

अनुबन्ध–ए

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (जिसे बाद में 'सरकार' कहा गया) के बदले में ———— के द्वारा (जिसे बाद में आयातक कहा गया) शर्तों (क्रेडिट के नाम का उल्लेख किया जाना है) के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस संख्या————दिनांक————के मद्दे——— के किए गए आयात के लिये और उपर्युक्त करार (इसके बाद इसे 'उक्त करार' का नाम दिया गया) के मद्दे आयातक के नाम में किए गए आयात के अनुसरण में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिये सहमत हुए हम————————बैंक आयातक के अनुरोध पर, रुपये जमा करते समय विनिमय की पहले ही अपनायी गई परिवर्तन की दर में और संभरक को भुगतान की तारीख को प्रचलित दर में अन्तर पड़ने वाले अतिरिक्त देय को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा शीर्ष में जमा करने के लिये भुगतान की सूचना पाने के 10 दिनों के भीतर जमा करने की व्यवस्था करने और विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य जमा करने की तिथि के बीच में अन्तर पड़ने वाली धनराशि पर बाकी रहने वाला 6 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से व्याज भी जमा करने की व्यवस्था करने का भी वचन देते हैं।

2. हम, दि————बैंक समय समय पर ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से जो सरकार निर्दिष्ट करे, आयातक द्वारा सरकार को देय अथवा चुकाने योग्य किसी धन राशि को जो ———— रु० से अधिक न हो, या निश्चित समय के भीतार आया तक द्वारा देय या चुकाने योग्य धनराशि के किसी भाग को विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से 6 प्रतिशत व्याज की दर से व्याज को न चुकाने में आयातक की त्रुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का भी वचन देते हैं। उक्त भगतान में आयातक द्वारा या उसकी तरफ से किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो हमारे ——— – बेंक द्वारा देय धन राशि के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा और हमारे ———— बेंक पर लागू होगा।

3. हम ————————बैंक आगे सहमत हैं कि इसके अन्दर निहित यह गारन्टी उक्त करार के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक इसके अन्तर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्णरूपेण नही चुकाए जाते या इस गारंटी की हैसियत से पूण नहीं कर दिया गया हो या वे अदा नहीं कर दिए गए हों।

4. इस गारंटी पर आयातक या दि ——————— बैंक के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नही पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में या आयातक को दिए जा रहे समय के कारण या सरकार की ओर से किसी अन्य स्थगन, निर्णय या छूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी प्रकार का अनुग्रह या कानून के अन्तर्गत प्रतिभूतियों से सम्बन्धित कोई भी मामला या वस्तु जो इस परन्तुक के लिए दि ——————— बैंक को इसके दायित्वों से मुक्त करने के लिए प्रभाव डाले सरकार द्वारा उन मामलो में किसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से इस गारंटी के अन्तर्गत दि ——————— बैंक अपने दायित्वों से मुक्त नही होगा ।

5. हम——————बैंक अन्त में यह वचन लेते हैं कि सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे ।

6. इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व रुपये († ब्याज और अन्य प्रभार जिसकी आशा गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है) तक प्रति प्रतिबन्धित है और यह गारंटी———————माह के दिन††——————तक लागू रहेगी। जब तक इस तिथि से 6 माह के भीतर इस गारंटी के अन्तर्गत दावे पूर्ण नही कर दिए जाते और जब तक अगले 6 माह के भीतर इन दावो को लागू करने के लिये आवेदन या कार्रवाई नही की जाती, जब तक लागू रहेगी। इसके बाद अर्थात् दिनांक—————— तक गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकार समाप्त हो जाएंगे और उसके अन्तर्गत हमारे सब उत्तरदायित्वो से हमें छुटकारा और कार्यमुक्ति मिल जाएगी ।

——————दिन का दिनांक——————

कृते——————बैंक ।

भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी

ओर से श्री——————————————

(नाम और पदनाम) हस्ताक्षर

हस्ताक्षर——————

†इसे आयात लाइसेंस के मूल्य के 3 प्रतिशत के लिये होना चाहिए।

††जिस तिथि तक साख-पत्र को वैध रखने की आवश्यकता होती है, उस तिथि में एक माह जोड़कर यह तिथि गिनी जाएगी ।

टिप्पणी—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारंटी कार्यान्वित की जानी है, उसके मूल्य का न्याय निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाना है।

Subject.—Import Policy for the year April 1972—March 1973

No. 1/9-ITC(PN)/72.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1972—March 1973.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1972—March 1973 :—

Page No. of the Red Book Vol. I)	Reference	Details of amendments
29	Section II, S. No. 17(a)(i)/II, Column 4, Remark (3), Item Nos. (iii) and iv).	*For* : "(iii) Cadmium (iv) Cobalt. } (On restricted basis. *Read* : "(iii) Cadmium. (On restricted basis.) (1) Import of this item for manufacture of cadmium salts will be allowed to actual users upto 25% of the face value of the licency. (2) For other end-uses import will be allowed actual users upto 5% of the face value of the licence. (iv) Cobalt.";
29	Section II S. No 17(b)/II, Column 4.	(1) The item No. (a) 'Alloy pen-points' appearing in the existing remark may be deemed tohave been deleted. (2) The following new remark may be deemed to have been inserted :— "(2) A.U. for import of alloy pen-points only"
32	Section II, S. No. 21(1)/II, Column 4, remark (iv), item (b)-Thread plug gauges and Ring gauges.	The import of this item will be allowed to actua users upto 2½% of the face value of the licence or Rs. 3,000 whichever is less.
40	Section II, S.No. 1(f)/III, Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following remarks :— "(1) A.U. for import of methyl cellulose. (2) A.U. for import of ethyl cellulose' for manufacture of protective coatings."
44	Section II, S.No. 78-79(vii)/IV-Columns 1 to 4.	This S. No. and the entries relating thereto may be deemed to have been deleted
45	Section II, S. Nos 127—129/IV, Column 4, Remark (2), item No. (ii)—Citronella oil.	Release orders for this item to actual users engaged in the manufacture of aromatic chemicals namely Geraniol, Citronellol and Hydroxy citronellol will be issued to the extent of 10% of their entitlement.
51	Section II, S. No. 26/V, Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "Requirements of actual users will be met by imports through public sector agency. Please see Section III of this Book.
53	Section II, S. No. 42(b)(i)/V, Column 4.	The following new remark may be deemed to have been inserted :— "(6) A.U. applications from exporting textile mills for import of shuttle blocks/planks will be considered in consultation with the Textile Commissioner, Bombay.'

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
53	Section II, S. No. 47/V, Column 4, Remark (1).	(1) The existing remark may be deemed to hav been substituted by the following :— "(1) Requirements of actual users for raw wool and wool tops including woollen rags will be met on a restricted basis by imports through public sector agency. Please see Section III of this Book. (2) Import of wool waste and shoddy wool will not be permitted." (2) The existing remark (2) may be renumbered as (3).
69	Section II, S. No. 122(ii)/V Column 4, Remark (5)—items not allowed.	The following item may be deemed to have been inserted as S. No. (iv) :— (iv) Photographic/technical gelatine.
75	Section III S No. 22, 3/V, Column 2.	The following new item may be deemed to have been inserted at the appropriate place :— "Malathion."
75	Section III' S. No. 47/V, Column 2.	*For* the existing description "Raw wool Wool tops." *Read* "Raw wool and wool tops including woollen rags."
91	Section IV, S. No. 74(iii)/V, Column 4, Remark (5).	This remark may be deemed to have been deleted
110	Section V, Appendix 4-D (Part II), Item No. 32.	*For* the existing description—High steel plain discs of sizes 16 to 26". *Read* "All types of agricultural discs."
124	Section V, Appendix 11, List 'B', Item No. 26—Plastic Machinery.	The following item may be deemed to have been inserted as sub-item No. (v) :— " (v) High frequency plastic welding and embossing machine for PVC sheets input capacity upto 1·4 Kw."
124	Section V, Appendix 11, List "B, Item No. 34.	This item may be deemed to have been deleted.
166	Section V Appendix 19, List I Item No. 204—Probeneouid.	This item may be deemed to have been deleted.
167	Section V, Appendix 19, List II.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place :— "Probenecid."
188	Section V, Appendix 24. List I of the Annexure.	(1) The following items may be deemed to have been inserted at the appropriate places :— "(i) Ortho Nitro Aniline. (ii) Para Chloro Ortho Nitro Anilide." (2) The existing description of item Nos. 9 and 12 may be deemed to have been substituted by the following :— "(9) C. Acid (2-Chloro-5-Toluidine 4-Sulphonic Acid) and its salts. (12) (a) Para Toluidine Meta Sulphonic Acid (PTMS) and its salts; or (b) P-toluidine-5-sulphonic acid and its salts

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Referenc :	Details of amendments
189	Section V, Appendix 24, List III of the Annexure—Item No. 41-p-chloroaniline.	This item may be deemed to have been deleted.
196	Section V, Appendix 28, Para 4 – List of canalised items.	The following new item may be deemed to have been inserted as S. No. (33) :— "(33) Malathion. Requirements of actual users for this item will be met on a restricted basis. (Release orders for this item to actual users will be issued by the licensing authorities on the S.T.C. to the extent of 25 %of the entitlement.)
197	Section V, Appendix 28, List II, Item—Argon gas spectroscopically pure 99·99 %	The import of this item to actual users will be allowed upto 10 % of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
197	Section V, Appendix 28, List, II.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place : "Divinylbenzene monomer." (The import of this item to actual users will be allowed upto 5 % of the face value of the licence or Rs. 2,500/ whichever is less).
197	Section V, Appendix 28, List II, Item—Fumaric Acid.	This item may be deemed to have been deleted
197	Section V, Appendix 28, List II.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place : "Octyl Titanate and other Titanium alkoxides' (The import of this item to actual users will be allowed upto 10 % of the face value of the licence.
197	Section II, Appendix 28, List II, Item—Para-phenatidine.	The import of this item to actual users will be allowed upto 2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
198	Section V, Appendix 28, List II Item—Sodium Azide.	This item may be deemed to have been deleted.
198	Section V, Appendix 28, List II, Item—Succinic acid.	The import of this item to actual users will be allowed upto 2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less
198	Section V, Appendix 28, List II, Item—Succinates.	The import of this item to actual users will be allowed upto 2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whiechever is less.
199	Section V, Appendix 28, List III.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place :— "Fumaric acid."
199	Section V, Appendix 28, List III, item No. 106(xxv)—Malathion	This item may be deemed to have been deleted.
200	Section V, Appendix 28, List III,	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place .— "Sodium Azide."
203	Section V Appendix 29, List I.	The following new item may be deemed to have been inserted as S.No. 16 :— "16. Fluorescent pigments and colours."

(Sd.) M. M. SEN,
Chief Controler of Imports & Exports

विषय.—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए आयात नीति ।

संख्या : 149/आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर दिलाया जाता है ।

2. अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में उचित स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :—

रेड बुक वा० 1 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
29.	खंड 2, क्रम संख्या 17(ए) (1)/2, कालम 4 टिप्पणी (3) मद संख्याएं (3) और (4)	"(3) केडमियम } (4) कोबाल्ट } (प्रतिबंधित आधार पर)" के लिए "(3) केडमियम (प्रतिबंधित आधार पर) (1) इस मद का आयात केडमियम नमक के निर्माण के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस के अंकित मूल्य के 25 प्रतिशत तक अनुमित किया जायेगा । (2) अन्य अन्तिम उपयोगों के लिए आयात वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक अनुमित किया जायेगा । (4) कोबाल्ट" पढ़ें ।
29.	खंड 2, क्र० सं० 17(बी)/2, कालम 4	(1) वर्तमान टिप्पणी में दिखाई गई मद संख्या (ए) "अलाय पेन-पाइन्ट्स" हटा दी गई समझी जाये । (2) निम्नलिखित नई टिप्पणी निविष्ट की गई समझी जाये :— "(2) केवल अलाय पेन-पाइन्ट्स के लिए वास्तविक उपयोक्ता ।"

1	2	3
32.	खंड 2, क्र० सं० 21(1)/2, कालम 4, टिप्पणी (4), मद (बी)—थ्रेड प्लग गेज और रिंग गेज	इस मद का आयात वास्तविक उपयोक्ताओं को लाइसेंस के अंकित मूल्य के 2.1/2 प्रतिशत या 3,000 रुपये इन में जो भी कम हो, तक अनुमित किया जायेगा ।
40.	खंड 2, क्रम संख्या 1(एफ)/3, कालम 4	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाये :— "(1) मिथिल सेल्यूलोज के लिए वास्तविक उपयोक्ता । (2) प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के निर्माण के लिए इथिल सेल्यूलोज के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता ।"
44.	खंड 2, क्र० सं० 78–79(7)/4—कालम 1 से 4	यह क्रम संख्या और इस से सम्बन्धित प्रविष्टियां हटा दी गई समझी जाए ।
45.	खंड 2, क्र० सं० 127–129/4, कालम 4, टिप्पणी (2), मद संख्या (2)—सिट्रोनेला आयल	इस मद के लिए रिहाई आदेश सुगंधित रसायनों जैसे जिरानियल, सिट्रोनेलल और हाइड्राक्सी सिट्रोनेलल के निर्माण में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं को उनकी हकदारी के 10 प्रतिशत की सीमा तक जारी किये जायेंगे ।
51.	खंड 2, क्रम संख्या 26/5, कालम 4	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाये :— "वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताएं सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण के माध्यम से आयातों द्वारा पूरी की जायेंगी । कृपया इस पुस्तक का खंड 3 देखें ।"
53.	खंड 2, क्रम संख्या 42(बी)(1)/5, कालम 4	निम्नलिखित नई टिप्पणी प्रविष्टी की गई समझी जाए :— "(6) शटल ब्लाक्स/प्लेंक्स के आयात के लिए निर्यातक कपड़ा मिलों के वास्तविक-उपयोक्ता-आवेदनपत्रों पर वस्त्र आयुक्त, बम्बई के परामर्श से विचार किया जायेगा ।"

1	2	3
53.	खंड 2, क्रम संख्या 47/5, कालम 4, टिप्पणी (1)	(1) वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गई समझी जाए :— "(1) ऊनी चिथड़ों सहित कच्चा ऊन और ऊनी टाप्स के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताएं सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण के माध्यम से आयातों द्वारा प्रतिबंधित आधार पर पूरी की जाएगी । कृपया इस पुस्तक का खंड 3 देखें । (2) ऊन की रद्दी और घटिया ऊन के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी ।" (2) वर्तमान टिप्पणी (2) को संख्या (3) की जाए ।
69.	खंड 2, क्रम संख्या : 122(51)/5, कालम 4, टिप्पणी (5)-वे मदें जो अनुमित नहीं हैं	निम्नलिखित मद क्रम संख्या (4) के रूप में निविष्ट की गई समझी जाए :— "(4) फोटोग्राफी/तकनिकी जिलैटिन ।"
75.	खंड 3, क्रम संख्या : 22, 31/5, कालम 2	निम्नलिखित नई मद उचित स्थान पर निविष्ट की गई समझी जाए :— "मेलाथियोन",
75.	खंड 3, क्रम संख्या : 47/5, कालम 2	वर्तमान विवरण "कच्चा ऊन/ऊन टाप्स" के लिए "ऊनी चिथड़ों सहित कच्चा ऊन और ऊन-टाप्स" पढ़ें ।
91.	खंड 4, क्रम सं० 74(3)/5, कालम 4, टिप्पणी (5) ।	यह टिप्पणी हटा दी गई समझी जाए ।
110.	खंड 5, परिशिष्ट 4—डी (भाग 2), मद संख्या : 32	वर्तमान विवरण—"16 इंच से 26 इंच की साइजों की हाई स्टील प्लेन डिस्कस" के लिए "कृषि सम्बन्धी डिस्कस की सभी किस्में" पढ़ें ।
124.	खंड 5, परिशिष्ट 11, सूची 'बी', मद संख्या : 26—प्लास्टिक मशीनरी ।	निम्नलिखित मद उप-मद संख्या (5) के रूप में निविष्ट की गई समझी जाए :— "(5) पी वी सी शीट्स के लिए हाई फ्रक्वेन्सी प्लास्टिक वेल्डिंग और एम्बोसिंग मशीन, अन्तर्गामी क्षमता 1.4 किलोवाट तक ।"
124.	खंड 5, परिशिष्ट 11, सूची 'बी' मद सं० 34	यह मद हटाई गई समझी जाए ।

1	2	3
166.	खंड 5, परिशिष्ट 19, सूची 1, मद सं० 204, प्रोबिनिसिड	यह मद हटाई गई समझी जाए ।
167.	खंड 5, परिशिष्ट 19, सूची 2	निम्नलिखित मद उचित स्थान पर निविष्ट की गई समझी जाये :— "प्रोबिनिसिड"
188	खंड 5, परिशिष्ट 24, अनुबन्ध की सूची 1	(1) निम्नलिखित मदें उचित स्थानों पर निविष्ट की गई समझी जाये :— "(1) आर्थो नाइट्रो एनिलिन (2) पैरा क्लोरो आर्थो नाइट्रो एनिलिन ।" (2) मद संख्या 9 और 12 का वर्तमान विवरण निम्नलिखित विवरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाये :— "(9) मी० एसिड (2-क्लोरो-5-टोल्यू-डाइन 4-सल्फोनिक एसिड) और इसके लवण । (12) (ए) पारा टोल्यूडाइन मेटा सल्फोनिक एसिड (पीटीएमएस) और इसके लवण; या (बी) पी-टोल्यूडाइन-5-सल्फोनिक एसिड और इसके लवण ।"
189	खंड 5, परिशिष्ट 24, अनुबन्ध की सूची 3-मद संख्या 41-पी-क्लोरोएनिलिन	इस मद को हटाया गया समझा जाये ।
196	खंड 5, परिशिष्ट 28, पारा 4, सरणीबद्ध मदों की सूची	निम्नलिखित नई मदों को क्रम संख्या (33) के रूप मे शामिल किया गया समझा जाये :— "(33) मेलाथियोन—इस मद के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्रतिबंधिता के आधार पर पूरा किया जायेगा । (इस मद के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को रिहाई आदेश लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा हकदारी के 25 प्रतिशत तक राज्य व्यापार निगम को जारी किया जायेगा) ।

1	2	3
197	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2, मदआर्गन गैस स्पेक्ट्रोस्कोपकली विशुद्ध 99.99 प्रतिशत	वास्तविक उपयोक्ताओं को इस मद के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक या 10,000 रुपये तक—इन में जो भी कम है, दी जायेगी ।
197	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2	निम्नलिखित मदों को उचित स्थान पर शामिल किया गया समझा जाये :— "डिविनायलबेंजिन मोनोमर ।" (इस मद के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक या 2,500 रुपये तक—इन में जो कम होगा, दी जायेगी) ।
197	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2, मद—फ्यूमरिक एसिड	इस मद को हटाया गया समझा जाये ।
197	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2	निम्नलिखित मदों को उचित स्थान पर शामिल किया गया समझा जाये :— "आक्टिल टीटानेट तथा अन्य टिटैनियम अलेक्साइड्स ।" (इस मद के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक दी जायेगी) ।
197	खंड 2, परिशिष्ट 28, सूची 2 मद—पारा—फनाटिडाइन	इस मद के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं को आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 2.1/2 प्रतिशत तक या 1,250 रुपये तक, इन में जो कम हो दी जायेगी ।
198	खंड 5, परिशिष्ट 28 सूची 2 मद—सोडियम एजाइड	इस मद को हटाया गया समझा जाये ।
198	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2, मद सक्सीनिक एसिड	वास्तविक उपयोक्ताओं को इस मद के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये, इन में जो भी कम हो उस तक दी जायेगी ।

1	2	3
198	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 2, मद-मक्सीनेटस.	वास्तविक उपयोक्ताओं को इस मद के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये, इन में जो भी कम हो उस तक दी जायेगी ।
199	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 3	निम्नलिखित मद उचित स्थान पर निविष्ट की गई समझी जाये :— "फ्यूमेरिक एसिड"
199	खंड 5 परिशिष्ट 28, सूची 3, मद संख्या 106(25)-मैलेथियन.	यह मद हटा दी गई समझी जाये ।
200	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 3.	निम्नलिखित मद उचित स्थान पर निविष्ट की गई समझी जाये :— "सोडियम एजाइड"
203	खंड 5, परिशिष्ट 29, सूची 1	निम्नलिखित नई मद क्रम संख्या 16 के रूप में निविष्ट की गई समझी जाये :— "16. फ्लोरेस्मेन्ट पिगमेन्टस और कलर्स ।"

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972